R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper - Ist
Family Law (Muslim Law)

अभिस्वीकृति और दत्तक ग्रहण की तुलना

अभिस्वीकृति मुस्लिम विधिशास्त्र का अंग है और दत्तक ग्रहण हिन्दू विधिशास्त्र का प्रथा, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। दत्तकग्रहण और अभिस्वीकृति में निम्नलिखित अंतर हैं:-

(1) अभिस्वीकृति तभी संभव है जब अभिस्वीकृति व्यक्ति के पितृत्व का पता नहीं हो, परंतु दत्तकग्रहण तो उस दशा में भी संभव है जब बच्चे के पिता का पता हो।

(2) अभिस्वीकृति वास्तविक पितृत्व के आधार पर होती है, परंतु दत्तकग्रहण में लिया गया बच्चा अन्य व्यक्ति का बच्चा होता है।

(3) अभिस्वीकृति औरस सम्बन्धों द्वारा अभिस्वीकृत व्यक्ति के वंशानुक्रम के सिद्धांत से सम्बन्धित है, परंतु दत्तक शिशु तथा दत्तकग्रहीता पिता या माता के मध्य प्रकृति वंशानुक्रम से दत्तक ग्रहण का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

(4) अभिस्वीकृति लड़के तथा लड़की दोनों का संभव है, किंतु प्राचीन हिन्दू विधि में केवल लड़के

का ही दत्तक ग्रहण हो सकता था। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत अब लड़की का भी दत्तक ग्रहण हो सकता है।

(5) मुस्लिम विधि में जिस व्यक्ति के पास पुत्र, पौत्र आदि पहले से हो वह भी किसी बच्चे की अभिस्वीकृति कर सकता है, किन्तु दत्तक ग्रहण विधि में जब किसी लड़के का दत्तक ग्रहण हो तो यह आवश्यक है कि दत्तक ग्रहीता के पास अपना कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हो। जब किसी पुत्री का दत्तक ग्रहण हो तो यह आवश्यक है कि दत्तक ग्रहीता के पास अपनी कोई पुत्री या पुत्र की पुत्री न हो।

(6) अभिस्वीकृति कोई पुरुष किसी ऐसे लड़के या लड़की का नहीं कर सकता जिसका माता से उसका विवाह निषिद्ध हो। इस प्रकार कोई पुरुष अपनी बहन के लड़के की अभिस्वीकृति नहीं कर सकता, परंतु दत्तक ग्रहण बहन के लड़के का या पुत्री के पुत्र का हो सकता है।

(7) अभिस्वीकृति में बच्चे के उम्र का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति की अभिस्वीकृति की जा सकती है, बशर्ते कि अभिस्वीकृति कर्ता और अभिस्वीकृत व्यक्ति की माँ से विवाह सम्भव हो, परंतु हिन्दू दत्तक ग्रहण विधि में यह आवश्यक है कि दत्तक शिशु अविवाहित हो तथा पन्द्रह वर्ष से कम आयु का हो। जब दत्तकग्रहण पुत्र का हो और दत्तकग्रहीता महिला हो तो यह भी आवश्यक है कि दत्तकग्रहीता महिला

कम से कम 21 वर्ष उम्र तक शिशु से बड़ी हो। इसी प्रकार कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की को ही दत्तक ग्रहण कर सकता है जो उससे कम से कम 21 वर्ष छोटी हो।

(8) एक अविवाहित पुरुष एवं अविवाहिता महिला भी दत्तकग्रहण कर सकती है, किन्तु ऐसा व्यक्ति किसी कन्या की अभिस्वीकृति नहीं कर सकता।

(9) अभिस्वीकृति में परिवार-परिवर्तन नहीं होता, परंतु दत्तकग्रहण में दत्तक-ग्रहीत शिशु का परिवार दत्तकग्रहीता का परिवार हो जाता है और उसके प्राकृतिक परिवार का परित्याग हो जाता है, अर्थात लड़के का अपने प्राकृतिक परिवार से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है।

(10) अभिस्वीकृति में कोई धार्मिक अभिप्राय नहीं होता, परंतु दत्तकग्रहण धार्मिक अभिप्राय तथा विचारों पर आधारित होता है।

(11) उत्तर प्रदेश में दत्तक ग्रहण का लिखित और रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, किन्तु अभिस्वीकृति लिखित या लिखित हो सकती है तथा लिखित होने पर भी व्यक्त या अव्यक्त हो सकती है।